

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ जिला सीकर

क्रमांक / कैम्प / 2021 / 38

दिनांक 6.10.21

आदेश

रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार दांतारामगढ के आधार पर काप ई लॉ नं०  
599 की जमाबंदी में इस खतरेदार शंकर लख पुर चन्ना  
हि 1/8 जाती नाई काप देह के स्थान पर किराया इकाद  
उउ चन्ना लाल हि 1/8 जाती नाई काप देह इस कले की  
खोदारी उकाप की जाती हो रिषी न्यायालय का खगत  
चले हो की राजस्व रेकार्ड में अकाप कराद करे हो  
जमाबंदी खलतूर रहेगी

तहसीलदार दांतारामगढ निर्देशित किया जाता है कि आदेश के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदारामद कर पालना से न्यायालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

प्रशासन गावी के संग अभियान -2021

उपखण्ड अधिकारी  
 राजेश कुमार सीणा  
 दांतारामगढ  
 उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ जिला सीकर